निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या 57/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
बाबूलाल शर्मा पुत्र श्री बंशीधर शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं॰ 12, जांगिड काम्पलेक्स के सामने, ग्राम गोल्यावास, मानसरोवर, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री घनश्याम शर्मा पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर ।
2. रमेश चौधरी उर्फ चन्दा पुत्र श्री रामनारायण निवासी बाढ मोहनपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 215/2020 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 127/2020 ब उनवानी बाबूलाल व अन्य बनाम रमेश चौधरी व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री रामचरण जाट अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री शिशुपाल जाट अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 10.09.2020

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष प्रकरण संख्या 215/2020 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 127/2020 ब उनवानी बाबूलाल व अन्य बनाम रमेश चौधरी व अन्य विचाराधीन है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी की सुनवाई करते हुये दिनांक 13.08.2020 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी कर अप्रार्थी संख्या 2 को पाबन्द किया गया तथा उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को जारी नोटिस अभी तक प्राप्त नहीं हुए है अर्थात अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की तामील नही हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 एवं भू माफिया हीरालाल चौधरी से सांठ गांठ व मिलीभगत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में एक प्रार्थना पत्र. आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पक्षकार बनने हेतु प्रस्तुत करवा दिया जबकि वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की तामील ही नहीं हुई, तो उक्त भू–माफिया को उक्त प्रकरण की जानकारी कैसे हुई, यह

जिला कलक्टर
जयपुर

सन्देहास्प्रद है तथा अप्रार्थी संख्या 1 की अन्य अप्रार्थीगण से मिलीभगत की पुष्टि होती है। जिससे प्रार्थी को यह पूर्ण अन्देशा हो गया कि अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 व उक्त भू माफिया हीरालाल से मिलीभगत कर प्रार्थी के हक में जारी अन्तरिम आदेश को निरस्त करने एवं प्रार्थी को पत्रावली में अप्रार्थी के विपरीत आदेश पारित करने पर उतारू है। जिस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने भू–माफिया हीरा चौधरी से मिलीभगत कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया है जिसमें बिना शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये ही दिनांक 21.08.2020 नियत कर दी तथा सुनवाई हेतु प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा नोटिस जारी किये गये है जिससे प्रार्थी को यह पूर्ण अन्देशा है कि अप्रार्थी संख्या 1 दिनांक 21.08.2020 को प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दावा व टी आई में प्रार्थी के विरूद्व अनुचित आदेश पारित कर अप्रार्थी संख्या 2 व भू माफिया हीरालाल को लाभ पहुंचा सकते है। जिससे प्रार्थी को अपूर्तनीयक्षति कारित हो सकती है और प्रार्थी की खातेदारी की जमीन में से बेदखल कर कब्जा कर सकते है । अप्रार्थीगण की उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थी आश्चर्य चकित हो गया जब अप्रार्थी संख्या 2 व भू–माफिया हीरालाल अप्रार्थी संख्या 1 से मिल गये है, तो फिर प्रार्थी को न्याय प्राप्त होना असम्भव है । इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नही रही है। ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्याहित में आवश्यक है। प्रार्थी एक गरीब काश्तकार व्यक्ति है जो अपने पैत्रिक अधिकारों के लिये न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में वाद प्रस्तुत कर अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए लड रहा है तथा प्रार्थी के वाद अधीन भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि या अन्य कोई जीविकोपार्जन का साधन नही है। अप्रार्थीगण अपनी गैर कानूनी हरकतों से पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ कर प्रार्थी के टी आई आदेश को खारिज करा देंगे तो अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित हो जायेगा। ऐसी स्थिति में न्याय की दृष्टि से प्रार्थी के मुकदमें को अन्य न्यायालय में हस्तान्तरण किया जाना आवश्यक है। न्याय की यही मंशा है कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद विचाराधीन होते हुये प्रार्थी को ऐसा प्रतीत भी होना आवयश्यक है कि उसे न्याय प्राप्त होगा। इसी सन्दर्भ में माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय ने अपने अनेकों निर्णयों में यही प्रतिपादित किया है कि जब परिवादी को न्याय प्राप्त नहीं होने की आशंका हो तो ऐसी स्थिति मे प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री शिशुपाल जाट ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।
3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. यद्यपि उपखण्ड अधिकारी द्वितीय के पीठासीन अधिकारी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है, किन्तु अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र

जिला–कलक्टर
जयपुर

न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु सहमत है। इसलिए उक्त प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के न्यायालय से अन्यत्र सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

5. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 215/2020 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 127/2020 व उनवानी बाबूलाल व अन्य बनाम रमेश चौधरी व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम में मुन्तकिल किया जाता है।

6. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम प्रकरण दर्ज कर उभय पक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष को दिनांक 22.09.2020 को उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष उपस्थित होने हेतु पावन्द किया जाता है।

7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम एवं जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

8. निर्णय आज दिनांक 10.09.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

10/9/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर